### विधि विभाग

## अधिसूचना

## शिमला-2, 4 मई, 2019

संख्याः एल0एल0आर0—डी0(6)—5/2019—लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01—05—2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई—राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

2019 का अधिनियम संख्यांक 8

## हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 1 मई, 2019 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश स्वारथ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) का संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :——

- 1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।
- 2. नाम का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) के नाम, में "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 3. वृहत् नाम का संशोधन.—मूल अधिनियम के वृहत् नाम में, "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 4. धारा 1 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 5. **धारा 2 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :——
  - "(भ) "विश्वविद्यालय" से, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;"।

- 6. **धारा 3 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :——
  - "(1) " अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश" के नाम से हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिकारिता रखने वाला एक विश्वविद्यालय होगा।"।
- 7. **धारा 14 का संशोधन**.—मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) में "पैंसठ वर्ष" शब्दों के स्थान पर "सत्तर वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।
- 8. धारा 60 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 60 के खण्ड (ख) में "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

\_\_\_\_\_

#### AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ACT No. 8 of 2019

# THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2019

(As Assented to by the Hon'ble Governor on 1st May, 2019)

AN

#### **ACT**

to amend the Himachal Pradesh University of Health Sciences Act, 2017 (Act No. 11 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

- 1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh University of Health Sciences (Amendment) Act, 2019.
- **2. Amendment of title.**—In the title of the Himachal Pradesh University of Health Sciences Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act") for the words "HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES", the words and sign "ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH" shall be substituted.
- **3. Amendment of long title.**—In the long title of the principal Act for the words "Himachal Pradesh University of Health Sciences", the words and sign "Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh" shall be substituted.
- **4. Amendment of section 1.**—In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "Himachal Pradesh University of Health Sciences", the words and sign "Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh" shall be substituted.

- **5.** Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act, for clause (x), the following shall be substituted, namely:—
  - "(x) "University" means the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh established under section 3 of this Act;".
- **6. Amendment of section 3.**—In section 3 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—
  - "(1) There shall be a University by the name "The Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh" having jurisdiction within the State of Himachal Pradesh.".
- **7. Amendment of section 14.**—In section 14 of the principal Act, in sub-section (4), for the words and sign "sixty-five years", the words "seventy years" shall be substituted.
- **8.** Amendment of section 60.—In section 60 of the principal Act, in clause (b), for the words "Himachal Pradesh University of Health Sciences", the words and sign "Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh" shall be substituted.